Joint Inspection Report

Joint Inspection Report in the Matter of OA No. 232/2024 (PB) (Rajendra Singh V/s State of Madhya Pradesh) in compliance of the order issued by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 29/11/2024

Background :

Hon'ble NGT Principal Bench has registered the application suo-moto on a letter petition dated 04/09/2023 sent by Shri Rajendra Singh, R/o A-507, Kalyank Sampat Garden, Bichouli Mardana Indore (M.P.). The Applicant has made complaint in the letter that the Management of Women Polytechnic College, situated at Rajendra Nagar, Indore, M.P., has got five green trees cut illegally on 02.09.2023 and thereby, caused damage to environment."

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) has passed the following directions on dated 13/05/2024 in para 2, 3, & 4:

2. *In our view, the complaint raised in the matter can be looked into at the first instance by local authorities and, therefore, we direct a Joint Committee comprising District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore to verify the facts, collect relevant information and if find any illegality or irregularity which involves illegal cutting of green trees, shall take appropriate remedial, preventive and punitive action against the violator(s).*

3. *Compliance Report shall be submitted to Registrar General of this Tribunal by the said Committee within two months and Registrar, if finds necessary, shall place the matter before the Bench for further orders.*

4. *District Magistrate, Indore shall be the Nodal Agency for compliance and co-ordination.*

Further in this matter Hon'ble NGT Principal Bench has come up on office report pointing out that directions given by Tribunal vide judgment dated 13.05.2024 in O.A. 232/2024, Rajender Singh vs. State of Madhya Pradesh has not been complied with and no compliance report has been filed by Joint Committee comprising District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore & Hon'ble NGT Principal Bench.

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) has passed the following directions on dated 29/11/2024 in para 5:

5. *However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to give one more opportunity and direct District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore to submit compliance 13.05.2024 within three weeks, failing which, District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore shall appear personally before Tribunal.*

In compliance of aforesaid directions issued by the Hon'ble NGT following Officers have been nominated from respected Departments to visit the site and submit the report :

1	District Magistrate, Indore	Shri Vinod Rathore, SDM Rau, District Indore
2	District Forest Officer, Indore	Shri K.K.Ninama, SDO Forest, Indore

Following Officers has visited the site on dated 02/01/2025 to verify the facts :

i. Shri Vinod Rathore, SDM, Rau, Indore
ii. Shri K.K.Ninama, Sub Div Forest Office,Indore
iii. Shri Manoj Jain, Udyan Adhikari, Indore Municipal Corporation (IMC), Indore

Panchnama during inspection was prepared, copy of which is enclosed as **Annexure-1**.

Observations during Site Visit:

1. Government Mahila Polytechnic College is operated in Rajendra Nagar, Indore in an area of about 10 acre. There are many types of thorny bushes and trees in the said premises. There is a hostel for girl

students and residences for the college employees in the institution's campus itself.

2. It is found that 05 nos of trees has been cut in college premises. Principal , Mahila Polytechnic College has told that due to the bushes, poisonous animals roam in the institution and due to some trees being bent rather than straight, the entry of anti-social elements remains, which creates an atmosphere of fear among the students and employees living in the campus. For safety purpose these trees has cut.

3. Government Mahila Polytechnic College ,Indore has submitted there reply in this matter to District administration which are enclosed as **Annexure -2 & 3**. Stated that

   (i) Plantation has been carried out by Officers, employees & student of College in premises every rainy season.
   (ii) Peacocks are in campus due to thick plantation & residents are managing food for them.
   (iii) College management is always doing well in favor of environment. Camps are organized by student of college under Rastriya Sewa Yojna for betterment of environment.
   (iv) Trees are cut only due to safety purpose & no other issues.
   (v) Institute has submitted reply to IMC vide letter no 1542 dated 06/09/2023, which is enclosed as **annexure- 4.**

4. Indore Municipal Corporation(IMC) officers has inspected the site on 01/09/2023 & prepared panchnama, which is enclosed as **Annexure-5**.IMC has issued notice to institute vide letter no 1470 dated 05/09/2023, Which is enclosed as **annexure-6**.IMC has imposed penalty of Rs 25000/- for tree cutting without permission vide letter no, 1968 dated 13/10/2023, letter no 2232 dated 21/11/2023 which are enclosed as **Annexure -7,8.**

5. Institute has already deposited penalty amount Rs 25000/-.Copy of receipt is enclosed as **Annexure- 9.**
6. Photographs taken during the site visit are enclosed as **Annexure-10.**

Conclusion :

1. Government Mahila Polytechnic college, Indore has cut trees as mentioned above for safety purpose. Institute has regularly doing plantation in campus & not engaged in any activity damaging environment. Institute has deposited penalty amount.
2. Action has already been taken by Indore Municipal Corporation imposing penalty for cutting of trees.

Enclosed : Annexure 1 to 10.

(K.K.Ninama)
SDO Forest
Indore

(Vinod Rathore),
SDM, Rau, Indore

मौका पंचनामा

हम पंचानगण यह पंचनामा तस्दीक करते है कि आज दिनांक 02/01/25 को माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली मे प्रचलित प्र. क्र. 232/2024 मे निर्देशानुसार गठित समिति के सदस्यो द्वारा स्थल महिला पोलिटेक्निक कालेज राजेन्द्र नगर इन्दौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय महिला पोलिटेक्निक कालेज की प्राचार्य श्रीमति विजया शिन्दे, श्री मनोज जैन उद्यान अधिकारी नगर पालिक निगम इन्दौर, श्री संजय जैन वैज्ञानिक म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपस्थित थें।

Before me
[signature]
SDO forest Ind—

[signature]
Vinod Rathore
SDM Rau

[signature]
S.K. Jain
Scientist
MPPCB
Indore.

[signature]
Manoj Jain
IMC. INDORE.

[signature]
Principal
GWPC, Indore

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमइ / स्था. / 2024 / 2212 इन्दौर दिनांक 28.12.2024

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला– इंदौर (म0प्र0)

विषय :– संस्था परिसर में अवैध वृक्ष कटाई बावत्।

संदर्भ :– 1. National Green Tribunal principal Banch, New Delhi order Dated 29/11/2024.

––000––

उपरोक्त विषय में संस्था का प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

महोदय उपरोक्त विषय में निम्नानुसार तथ्यों का ध्यानाकर्षण आपकी ओर किये जा रहे हैं।

1. छात्राओं एवं संस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्था परिसर में उत्पन्न झाड़ियों आदि की साफ–सफाई एवं जलप्रदाय, विद्युत व्यवस्था में अवरुद्ध पेंड़ों की छटाई करने के लिए समय–समय पर आवश्यक होता है। इस हेतु संस्था द्वारा जोनल अधिकारी विलावली जोन इंदौर, महापौर महोदय, आयुक्त महोदय नगर निगम को दिनां 07.08.2023 (पत्र संलग्न) को एवं पूर्व में आयुक्त महोदय उद्यान अधिकारी नगर निगम इंदौर को दिनोक 17.07.2023 (पत्र संलग्न) को पत्र प्रेषित कर परिसर की साफ–सफाई, घास एवं पेंड़ों की छटाई इत्यादि कार्य कराने का निवेदन किया गया था। नगर निगम द्वारा गिरे हुए सूखे पेंड़ों की छटाई इत्यादि का कार्य उद्यान विभाग की टीम द्वारा किया गया था। परन्तु शिव मंदिर संचालकों को लगा कि उनके द्वारा भंडारे के लिए काटी गई लकड़ी भी नगर निगम द्वारा हटाई जा रही है इसलिए उनके द्वारा दुर्भावनावश संस्था प्रशासन पर झूठा आरोप लगाते हुए यह शिकायत की गई है।
2. संस्था परिसर में दो कन्या छात्रावास एवं आवासीय परिसर भी स्थित है। जिसकी बाउंड्री राजेन्द्र नगर रेल्वे स्टेशन से लगी हुई है। पूर्व में बारिश–आंधी के कारण परिसर के कुछ वृक्ष रेल्वे स्टेशन की तरफ गिर गए थे जिसकी कटाई रेल्वे विभाग द्वारा कराई गई थी। एवं आये दिन असमाजिक तत्वों का लगातार परिसर में घुसकर चोरी की वारदातें की जाती रही हैं। जिसकी सूचना लिखित रुप से थाना राजेन्द्र नगर में दर्ज की जाती रहीं हैं। (पत्र संलग्न)

क्रमशः 2

Scanned with OKEN Scanner

3. विगत दस वर्षों से शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय के आवासीय परिसर में राजेन्द्र नगर पुलिस थाने के पास स्थित शिवमंदिर द्वारा शिवरात्री महोत्सव पर भंडारे का आयोजन होता रहा था। जिसमें मंदिर संचालकों द्वारा संस्था प्रांगण के ही पेंड़ों की लकड़ी भोजन आदि बनाने में उपयोग की जाती रही है।
4. फरवरी 2024 में मंदिर प्रशासन का संस्था परिसर में होने वाला भंडारा सक्षम अधिकारी की अनुमति न होने के कारण संस्था में सम्पन्न नहीं होने दिया। जिसके लिए मंदिर संचालकों द्वारा अनेक गणमान्य व्यक्तियों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अलग–अलग तरीकों से दबाव/धमकियां दी जाती रही थी।
5. व्यक्तिगत रुप से मंदिर संचालक अनेकों बार निवेदन करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हुए। जिसमें चर्चा के दौरान उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा वृक्षों के कटाई की झूठी शिकायत की गई थी।
6. उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एवं छात्रावास में अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा, निवासरत कर्मचारियों की जलव्यवस्था एवं विद्युत व्यवस्था के दृष्टिगत एवं विषैले जीव–जन्तुओं से बचाव हेतु कटीले बबूल के वृक्षों की छटाई का कार्य पूर्व में दी गई सूचनाओं के आधार पर नगर निगम के अमले द्वारा कार्य सम्पन्न किया गया था।
7. संस्था परिवार पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु सदा ही प्रयासरत रहा है। एवं समय–समय पर छात्राओं को जागरुक करते हुए संस्था में वृक्षारोपण संबंधी अभियान संचालित होते रहते हैं। इसकी वजह से संस्था परिसर में लगभग 25 मोर राष्ट्रीय पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। संस्था परिवार के सदस्यों द्वारा प्राकृतिक वातावरण एवं पर्यावरण को कभी भी नुकसान करने की मन्सा नहीं रही है।

कृपया प्रकरण में निवेदन है कि उपरोक्त सभी तथ्यों एवं बाहरी व्यक्तियों द्वारा संस्था की गरिमा को धूमिल करने की मंशा से लगाए गए झूठे आरोप के प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें।

Shide 28/12/24

प्राचार्य
शास0महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,
इन्दौर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

Item No.03 Court No.02

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.232/2024

Rajender Singh Applicant(s)

Versus

State of Madhya Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 13.05.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This Original Application has been registered in exercise of *suo-moto* jurisdiction under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) on a letter petition dated 04.09.2023, sent by Sh. Rajender Singh, R/o A-507,Kalayan Sampat Garden Bichholi, Mardana, complaining that Management of Women Polytechnic College, situated at Rajendra Nagar, Indore, M.P., has got five green trees cut illegally on 02.09.2023 and thereby, caused damage to environment.

2. In our view, the complaint raised in the matter can be looked into at the first instance by local authorities and, therefore, we direct a Joint Committee comprising District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore to verify the facts, collect relevant information and if find any illegality or irregularity which involves illegal cutting of green

Scanned with OKEN Scanner

trees, shall take appropriate remedial, preventive and punitive action against the violator(s).

3. Compliance Report shall be submitted to Registrar General of this Tribunal by the said Committee within two months and Registrar, if finds necessary, shall place the matter before the Bench for further orders.

4. District Magistrate, Indore shall be the Nodal Agency for compliance and co-ordination.

5. With the above directions, this Original Application is disposed of.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

May 13, 2024
Original Application No.232/2024
MK

Scanned with OKEN Scanner

Item No.13 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Miscellaneous Application No. 121/2024
IN
Original Application No.232/2024

Rajender Singh Applicant(s)

Versus

State of Madhya Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 29.11.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants:

ORDER

1. This matter has come up before us on office report pointing out that directions given by Tribunal vide judgment dated 13.05.2024 in ***O.A. 232/2024, Rajender Singh vs. State of Madhya Pradesh*** has not been complied with and no compliance report has been filed by Joint Committee comprising District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore.

2. Original Application was registered on a letter petition an exercise of *suo-moto* jurisdiction entertaining a complaint of felling down of five green trees illegally by Management of Women Polytechnic College. Original

Scanned with OKEN Scanner

Application was disposed of finally vide judgment dated 13.05.2024 and judgment reads as under:

> "1. This Original Application has been registered in exercise of suomoto jurisdiction under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) on a letter petition dated 04.09.2023, sent by Sh. Rajender Singh, R/o A-507,Kalayan Sampat Garden Bichholi, Mardana, complaining that Management of Women Polytechnic College, situated at Rajendra Nagar, Indore, M.P., has got five green trees cut illegally on 02.09.2023 and thereby, caused damage to environment.
>
> 2. In our view, the complaint raised in the matter can be looked into at the first instance by local authorities and, therefore, we direct a Joint Committee comprising District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore to verify the facts, collect relevant information and if find any illegality or irregularity which involves illegal cutting of green 2 trees, shall take appropriate remedial, preventive and punitive action against the violator(s).
>
> 3. Compliance Report shall be submitted to Registrar General of this Tribunal by the said Committee within two months and Registrar, if finds necessary, shall place the matter before the Bench for further orders.
>
> 4. District Magistrate, Indore shall be the Nodal Agency for compliance and co-ordination.
>
> 5. With the above directions, this Original Application is disposed of."

3. Joint Committee was required to submit report within two months as order was communicated to concerned authorities on 18.05.2024 but no report has been submitted till date.

4. This approach on the part of above Authority; is highly depreciable, particularly when non-compliance of Tribunal's orders is an offense under Section 26 of NGT Act, 2010.

5. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to give one more opportunity and direct District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore to submit compliance

Scanned with OKEN Scanner

report as per judgment dated 13.05.2024 within three weeks, failing which, District Forest Officer, Indore and District Magistrate, Indore shall appear personally before Tribunal.

6. List on 07.01.2025.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 29, 2024
Miscellaneous Application No.121/2024
M

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रभारी सुरक्ष एवं साफ सप

उद्यान विभाग

क्रमांक 1470 दिनांक 5-9-2023

05/9

नोटिस

प्रति,

प्रिंसिपल
महिला पोलोटिनक कॉलेज,
राजेन्द्र नगर, इन्दौर
मोबाईल नं.

आवक क्र. 746
दिनांक 5/9/23
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– वृक्ष की अवैध कटाई करने बाबद।

विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा दिनांक 01/09/2023 को झोन क्रं. 13 वार्ड क्रं. 78 के अंतर्गत महिला पोलोटिनक कॉलेज परिसर में 05 बबुल प्रजाति के हरे–भरे वृक्ष को बिना अनुमति प्राप्त किये काटा जाना पाया गया है। जो कि म.प्र. वृक्ष का परीरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2002 की धारा–3 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण इस नोटिस प्राप्ति से 03 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उद्यान अधिकारी,
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक................ दिनांक.....................

प्रतिलिपी :–

01 थाना प्रभारी, थाना राजेन्द्र नगर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

उद्यान अधिकारी,
नगर पालिक निगम, इन्दौर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पालीटेकनिक
महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
e-mail :prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / इमपोमइ / सुरक्षा / 2023 / 1542 इन्दौर दिनांक 6/9/2023

प्रति,

उद्यान अधिकारी
नगर पालिका निगम
इन्दौर

विषय :- वृक्ष की अवैध कटाई करने बाबद ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क 470 / 05-09-2023

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविधालय इन्दौर का एरिया 10 एकड़ है । केम्पस में अध्ययनरत छात्राओं के निवास हेतु 02 कन्या छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर बने है । छात्रावास के पीछे रेल्वे लाईन है जहॉ से बाउण्ड्रीवाल को कूदकर चोर एवं असामाजिक तत्व आ जाते है एवं आए दिन चोरी करते है । छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केम्पस की साफ-सफाई, घास एवं पेड़ो की छटाई अत्यन्त आवश्यक हो गई थी । इस हेतु संस्था द्वारा झोनल अधिकारी बिलावली झोन इन्दौर ,महापोर महोदय एवं आयुक्त महोदय नगर निगम इन्दौर को दिनांक 07/08/2023 को एवं पूर्व में आयुक्त महोदय, उद्यान अधिकारी नगर निगम इन्दौर को 17.07.2023 पत्र प्रेषित कर केम्पस की साफ-सफाई, घास एवं पेड़ो की छटाई इत्यादि कार्य कराने का निवेदन किया गया था ।

संस्था केम्पस में स्थित पूराने कन्या छात्रावास से नल एवं अन्य सामान चोरी हुआ एवं छत पर लगी खिड़की का ग्रील तोड़कर चोरी की घटना को अनजाम दिया गया । ऐसी घटना पूर्व में भी हो चुकी है । ऐसी घटना से निवासरत छात्राओं में भय व्याप्त है । इस के संबंध में थानाध्यक्ष राजेन्द्र नगर इन्दौर का आवेदन पत्र दिनांक 24/08/2023 को प्रेषित किया गया है एवं पुलिस गश्त का निवेदन भी किया गया । गश्त के दौरान पुलिस द्वारा अवगत कराया गया था की केम्पस में बारिश के कारण छात्रावास के इर्द गिर्द कटीली झाड़िया , घास एवं पेड़ो की छटाई एवं साफ-सफाई अत्यन्त आवश्यक है एवं इसमें विषेले जीव-जन्तु के छिपने का भी खतरा बना रहता है । ऐसी स्थिति में केम्पस में चोरी के इरादे से आये व्यक्तियो एवं असामाजिक तत्व की दृश्यता काफी मुश्किल है । एक पेड़ काफी समय से तिरछा होकर पुराने छात्रावास के नजदीक एक अन्य पेड़ से टीका हुआ था । इस पुराने छात्रावास में सतत् शिक्षा के अन्तर्गत दो पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे है । इन पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु छात्राओं एवं महिलाओं का लगातार आना जाना लगा रहता है । विगत माह में एक आदमी दिन मे ही छात्रावास में घुस गया था एवं सफाई करने वाली महिलाओं के चिल्लाने पर भाग गया था । 3 पेड़ बिजली की लाईन पर आने से लगातार निरन्तर विघुत व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे एवं 01 पेड़ आंधी में तिरछा होकर सुख गया था ।

उपरोक्त सभी बातो को ध्यान मे रखते हुए एवं छात्रावास में अध्यनरत् निवासरत छात्राओ एवं जल व्यवस्था में संलग्न कर्मचारियों की सुरक्षा के दष्टिकोण से उन्हे काटों एवं विषेले जन्तुओ से बचाने हेतु कटिले बबुल के पेड/जंगली बबुल कटाई एवं छटाई का कार्य पूर्व में दी गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है ।

प्रकरण मे निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नही की जावेगी संस्था की छात्राओं को भविष्य मे होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिये की गई कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को कृपया नस्तीबद्ध कराने का कष्ट करें

संलग्न : उपरोक्त अंकित पत्रो की छाया प्रति

06/9/23

प्राचार्य
शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविधालय
इन्दौर

(5)

o/c

प्र.अ. सुरक्षा एवं सफाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर

उद्यान विभाग

क्रमांक 1968 दिनांक 13-10-23

शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.) आवक क्र. 852 दिनांक 16/10/23

प्रति,

प्रिंसिपल,
महिला पोलोटिनिक कॉलेज,
राजेन्द्र नगर, इन्दौर
मोबाईल नं.

विषय :— अवैध वृक्ष कटाई की अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) जमा करने बावद ।

विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा झोन कं. 13 वार्ड कं. 78 के अंतर्गत महिला पोलोटिनक कॉलेज परिसर में स्थित 05 बबुल प्रजाति वृक्षो को वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर की बिना स्वीकृति प्राप्त किये काटा जाना पाया गया है।

वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा आप पर रुपये 25,000/— (पच्चीस हजार) का अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) किया गया है।

अतः आप रुपये 25,000/— (पच्चीस हजार) निगम कोषालय उद्यान विभाग में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पूनरावृत्ती न हो ।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक............... दिनांक.................

प्रतिलिपी :—

01 अपर आयुक्त (उद्यान), नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर

Scanned with OKEN Scanner

(4)

प्र अ साफ सफाई एवं सुरक्षा
प्रस्तुत
22/11

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर

उद्यान विभाग

क्रमांक 2232 दिनांक 21/11/23

द्वितिय–पत्र

प्रति,

पिंसिपल,
महिला पोलोटिनिक कॉलेज,
राजेन्द्र नगर, इन्दौर
मोबाईल नं.

आवक क्र. 949
दिनांक 22/11/23

विषय :– अवैध वृक्ष कटाई की अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) जमा करने बावद ।

विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा झोन कं. 13 वार्ड कं. 78 के अंतर्गत महिला पोलोटिनक कॉलेज परिसर में स्थित 05 बबुल प्रजाति वृक्षो को वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर की बिना स्वीकृति प्राप्त किये काटा जाना पाया गया है।

वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा आप पर रुपये 25,000/– (पच्चीस हजार) का अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) किये जाने हेतु विभागीय पत्र कं 1968 दिनांक 13/10/2023 को उक्त राशि जमा करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु आपके द्वारा अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) जमा कार्यालय में नही करवाई गई है।

अतः आप रुपये 25,000/– (पच्चीस हजार) निगम कोषालय उद्यान विभाग में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वंय की रहेगी।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक.................

कमांक...............
प्रतिलिपी :–
01 अपर आयुक्त (उद्यान), नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर

(1)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र– 0731 2921012 | Hoky E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमइ / सुरक्षा / 2023 / ....1928 इन्दौर दिनांक 24/11/2023

प्रति,

श्रीमान उद्यान अधिकारी महोदय,
नगर पालिका निगम
इन्दौर (म0प्र0)

विषय :– वृक्ष की अवैध कटाई करने बाबत् ।
संदर्भ :– (1) आपका पत्र कमांक 470, दिनांक 05–09–2023.
(2) आपका पत्र कमांक 2232, दिनांक 21–11–2023.

—— 000 ——

1/ उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय महिला पोली0 महाविलय, इन्दौर का एरिया 10 एकड़ है । केम्पस में अध्ययनरत छात्राओं के निवास हेतु 02 कन्या छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर बने है । छात्रावास के पिछे रेल्वे लाईन है, जहाँ से बाउन्ड्रीवाल को कूदकर चोर एवं असामाजिक तत्व आ जाते है एवं आए दिन चोरी करते है । छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केम्पस की साफ–सफाई, घास एवं पेडों की छटाई अत्यन्त आवश्यक हो गई थी । इस हेतु संस्था द्वारा झोनल अधिकारी बिलावली झोन, इन्दौर महापोर महोदय एवं आयुक्त महोदय, नगर निगम इन्दौर को दिनांक 07–08–2023 को एवं पूर्व में आयुक्त महोदय, उद्यान अधिकारी, नगर निगम इन्दौर को दिनांक 17–07–2023 पत्र प्रेषित कर केम्पस की साफ–सफाई, घास एवं पेडों की छटाई इत्यादि कार्य कराने का निवेदन किया गया था ।

2/ संस्था केम्पस में स्थित पुराने कन्या छात्रावास से नल एवं अन्य सामान चोरी हुआ एवं छत पर लगी खिडकी का ग्रील तोडकर चोरी की घटना को अनजाम दिया गया । ऐसी घटना पूर्व में भी हो चुकी है । ऐसी घटना से छात्रावास में निवासरत छात्राओं में भय व्याप्त है । इस संबंध में थाना प्रभारी, राजेन्द्र नगर, इन्दौर को आवेदन पत्र दिनांक 24–08–2023 को प्रेषित किया गया है एवं पुलिस गश्त का निवेदन भी किया गया । गश्त के दौरान पुलिस द्वारा अवगत कराया गया था कि केम्पस में बारिश के कारण छात्रावास के इर्द गिर्द कटीली झाडियॉं, घास एवं पेडों की छटाई एवं साफ–सफाई, अत्यत आवश्यक है एवं इसमें विपेले जीव जन्तु के छिपने का खतरा भी बना रहता है । ऐसी स्थिति में केम्पस में चोरी के इरादे से आये व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्वो की दृश्यता काफी मुश्किल है । एक पेड काफी समय से तिरछा होकर पुराने छात्रावास के छत से टीका हुआ था । इस पुराने छात्रावास में सतत शिक्षा के अन्तर्गत दो पाठयकम भी चलाये जा रहे है । इन पाठयकमों में अध्ययन हेतु छात्राओं एवं महिलाओं का लगातार आना जाना रहता है । विगत माह में एक आदमी दिन में ही छात्रावास में घुस गया था एवं सफाई करने वाली महिलाओं के चिल्लाने पर भाग गया था । 03 पेड बिजली की लाईन पर पहले से ही गिरी हुई अवस्था में थे, जिससे सदैव शार्ट सर्किट का खतरा बना हुआ था । लगातार विद्युत व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे एवं 01 पेड आंधी में तिरछा होकर सुख गया था ।

3/ उपरोक्त सभी बातो को ध्यान में रखते हुए एवं छात्रावास में अध्ययनरत निवासरत छात्राओं एवं जल व्यवस्था में संलग्न कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें कांटों एवं विपेले जन्तुओं से बचाने हेतु कटिले बबुल के पेड/जंगली बबुल की छटाई का कार्य पूर्व में दी गई सूचनाओं के आधार पर किया गया ।

4/ संस्था परिवार पर्यावरण को संरक्षित रखने के दृष्टि से सदा ही प्रयत्नरत है । संस्था परिसर में लगभग 20–25 मौर जैसे राष्ट्रीय पक्षीयों का भी संरक्षण किया जा रहा है एवं संस्था परिवार के सदस्यों द्वारा प्राकृतिक वातावरण एवं पर्यावरण को कभी भी नुकशान पहुचाने की मंशा नही रही है ।

5/ प्रकरण में निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नही की जावेगी । संस्था की छात्राओं को भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिये की गई कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए अर्थदण्ड को विलोपित करते हुए प्रकरण को कृपया नस्तीबद्ध कराने का कष्ट करें । यही निवेदन है ।

संलग्न :– उपरोक्त अंकित पत्रों की छायाप्रति. 24 पृष्ठ

(हस्ताक्षर) 24/11/23
प्राचार्य
शासकीय महिला पोली0 महा0,
इन्दौर (म0प्र0)

इ.न.पा.नि.
उद्यान विभाग
आ.क्र.3286...
दि..24/11/23.

o/c

इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर
अवैध वृक्षो की कटाई का स्थल निरीक्षण

मौका पंचनामा

पंचनामा बनाने वाले अधिकारी का नाम — राहुल वर्मा

पद — सह. उद्यान अधिकारी

स्थल पर — महिला पोलीटेक्निक कॉलेज

दिनांक व समय — 1-9-2023 । 12:30 PM

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता पंच यह तस्दीक करते है कि आज दिनांक 1-9-2023 को श्री प्राचार्य निवासी महिला पोलीटेक्निक कॉलेज के अधिपत्य वाले स्थान महिला पोलीटेक्निक कॉलेज पर लगे बबूल के तीन (3) हरे भरे वृक्ष/वृक्षो को बिना वृक्ष अधिकारी की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये काटा/छटाई कर दी गई है। उक्त स्थान जहा से हरे भरे वृक्ष/वृक्षो को काटा/हटाया/छटाई की गई है का नपती पर 3 x 4 है। मौके पर पेड हटाने के निशान पाये गये होकर पांच ठूठ गढ्ढा पाया गया।

मौका पंचनामा के दौरान उक्त स्थान के आधिपत्य धारी श्री ~~प्राचार्य स्वयं~~ आशीष शर्मा एवं अन्य पंच भी मौजुद है। पंचगण एवं स्थान के आधिपत्य धारी की उपस्थित मे पंचनामा बनाया गया।

हस्ताक्षर पंचगण

[signature]
9826989656

[signature] 9424657700

[signature] 9826575828

[signature]
आधिपत्य धारी
Govt. Women's Polytechnic College
Indore (M.P.)
9826370828

[signature]
सहायक उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर
पंचनामा बनाने वाले अधिकारी
7000414580

Scanned with OKEN Scanner

(7)

कार्यालय, शासकीय महिला पालीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इंदौर
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र. 0731 2921012 E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक/शामपोई/स्था/2024/ 252 इन्दौर,दिनॉक :- 10-02-2024

प्रति,

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय,
जोन-1, इन्दौर महानगर
रानी सराय
जिला इन्दौर (म0प्र0)

विषय- महाविद्यालय परिसर में भंडारे के आयोजन के संबंध् में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि महाविद्यालय परिसर ए.बी.रोड राजेन्द्र नगर स्थित शिवमंदिर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव पर पूर्वानुसार आम जनता हेतु भंडारे का आयोजन होता रहा है, वर्ष 2014-15 में भंडारे के समय अति वर्षा होने के कारण मंदिर समिति को संस्था के बाहरी परिसर में आम जनता को खाना खाने की व्यवस्था हेतु तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु इसके बाद प्रत्येक वर्ष मंदिर परिसर ने अपना नियत स्थान छोडकर महाविद्यालय परिसर में ही भंडारे का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विगत दो दिवसों से भंडारे के आयोजकों का महाविद्यालय परिसर में भ्रमण किया जाना प्रारंभ हो गया है। दिनांक 3 फरवरी को आयोजकों के प्रतिनिधि श्री गोपाल खंडेलवाल ने अधोस्ताक्षरकर्ता से महाविद्यालय परिसर में भंडारे का अयोजन करने हेतु संपर्क किया जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भंडारा करने की अनुमति नही दी जा सकती है क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ कन्याओं के लिए है और इसमें कन्या छात्रावास तथा अधिकारी कर्मचारी के आवासीय परिसर भी है। भंडारे के आयोजन के कारण विगत कुछ वर्षो से महाविद्यालय को निम्नांकित समस्या का सामना करना पड रहा है।

01. महाविद्यालय में लगभग 35 मोर एवं उनका परिवार एवं अन्य पक्षी रहते है, भंडारे में अत्यधिक लोगो की भीड एवं भोजन बनाने के लिए आग जलाने इत्यादि के कारण मोर एवं पक्षी असहज हो जाते एवं इनकी क्षति होने की अत्यधिक संभावना रहती है।
02. महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का आवागमन होने के कारण संस्था परिसर में लगातार चोरी की घटनाये हुई हैं, दोनो महिला छात्रावास में चोरी तथा आवासीय परिसर में चोरी की घटनाएं हुई है। जिसकी पुष्टि राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में समय-समय पर दर्ज एफ.आईआर से की जा सकती है।
03. भंडारे के भोजन के लिए संस्था परिसर में ही लगे पेडों को काटकर उपयोग करते है, जबकि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है भंडारें में अत्यधिक भीड होने से परिसर में लगे पौधें नष्ट हो जाते है। भंडारे के बाद बचा हुआ बची हुई सामग्री, भोजन तथा झूठी पत्तल दोना तथा भंडारे में आयी हुई भीड के जूते/चप्पल पूरे परिसर में बिखरे रहते है, जिससे महाविद्यालय परिसर में अनके दिनों तक बदबू एवं अव्यवस्था रहती है।

महाविद्यालय के कन्या छात्रावास के प्रभारी तथा रहवासी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भंडारे को उनके नियत स्थान या अन्य किसी स्थान पर करने हेतु निवेदन किया है जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है। साथ ही निवेदन है कि महाविद्यालय की शांति,मर्यादा, स्वच्छता एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर को पलायन से बचाने की कृपा करेंगे।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

Shide 10/2/24
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, शासकीय महिला पालीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इंदौर
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र. 0731 2921012 E-MAIL ID - prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक/शामपोई/स्था/2024/ 215 इन्दौर दिनांक 05/02/24

प्रति

आयुक्त महोदय
आयुक्त कार्यालय इंदौर

विषय- महाविद्यालय परिसर में भंडारे के आयोजन के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि महाविद्यालय परिसर ए.बी.रोड राजेन्द नगर स्थित शिवमंदिर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव पर पूर्वानुसार आम जनता हेतु भंडारे का आयोजन होता रहा है, वर्ष 2014-15 में भंडारे के समय अति वर्षा होने के कारण मंदिर समिति को संस्था के बाहरी परिसर में आम जनता को खाना खाने की व्यवस्था हेतु तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु इसके बाद प्रत्येक वर्ष मंदिर परिसर ने अपना नियत स्थान छोडकर महाविद्यालय परिसर में ही भंडारे का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विगत दो दिवसों से भंडारे के आयोजकों का महाविद्यालय परिसर में भ्रमण किया जाना प्रारंभ हो गया है। दिनांक 3 फरवरी को आयोजकों के प्रतिनिधि श्री गोपाल खंडेलवाल ने अधोहस्ताक्षरकर्ता से महाविद्यालय परिसर में भंडारे का अयोजन करने हेतु संपर्क किया जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भंडारा करने की अनुमति नही दी जा सकती है क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ कन्याओं के लिए है और इसमें कन्या छात्रावास तथा अधिकारी कर्मचारी के आवासीय परिसर भी है। भंडारे के आयोजन के कारण विगत कुछ वर्षों से महाविद्यालय को निम्नांकित समस्या का सामना करना पड रहा है।

1. महाविद्यालय में लगभग 35 मोर एवं उनका परिवार एवं अन्य पक्षी रहते है, भंडारे में अत्यधिक लोगो की भीड एवं भोजन बनाने के लिए आग जलाने इत्यादि के कारण मोर एवं पक्षी असहज हो जाते एवं इनकी क्षति होने की अत्यधिक संभावना रहती है।
2. महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का आवागमन होने के कारण संस्था परिसर में लगातार चोरी की घटनाये हुई हैं, दोनो महिला छात्रावास में चोरी तथा आवासीय परिसर में चोरी की घटनाएं हुई है। जिसकी पुष्टि राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में समय-समय पर दर्ज एफआईआर से की जा सकती है।
3. भंडारे के भोजन के लिए संस्था परिसर में ही लगे पेडों को काटकर उपयोग करते है, जबकि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है भंडारें में अत्यधिक भीड होने से परिसर में लगे पौधें नष्ट हो जाते है। भंडारे के बाद बचा हुआ बची हुई सामग्री, भोजन तथा झूठी पत्तल दोना तथा भंडारे में आयी हुई भीड के जूते/चप्पल पूरे परिसर में बिखरे रहते है, जिससे महाविद्यालय परिसर में अनेक दिनों तक बदबू एवं अव्यवस्था रहती है।

महाविद्यालय के कन्या छात्रावास के प्रभारी तथा रहवासी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भंडारे को उनके नियत स्थान या अन्य किसी स्थान पर करने हेतु निवेदन किया है जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है। साथ ही निवेदन है कि महाविद्यालय की शांति,मर्यादा, स्वच्छता एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर को पलायन से बचाने की कृपा करेंगे।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

Shide 05/2/24
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, शासकीय महिला पालीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इंदौर
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र. 0731 2921012 E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक/शामपोई/स्था/2024/ 212 इन्दौर,दिनॉक :- 05-02-2024
प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला इंदौर (म0प्र0)

विषय- महाविद्यालय परिसर में भंडारें के आयोजन के संबंध् में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि महाविद्यालय परिसर ए.बी.रोड राजेन्द्र नगर स्थित शिवमंदिर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव पर पूर्वानुसार आम जनता हेतु भंडारे का आयोजन होता रहा है, वर्ष 2014-15 में भंडारे के समय अति वर्षा होने के कारण मंदिर समिति को संस्था के बाहरी परिसर में आम जनता को खाना खाने की व्यवस्था हेतु तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु इसके बाद प्रत्येक वर्ष मंदिर परिसर ने अपना नियत स्थान छोडकर महाविद्यालय परिसर में ही भंडारे का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विगत दो दिवसों से भंडारे के आयोजकों का महाविद्यालय परिसर में भ्रमण किया जाना प्रारंभ हो गया है। दिनांक 3 फरवरी को आयोजकों के प्रतिनिधि श्री गोपाल खंडेलवाल ने अधोस्ताक्षरकर्ता से महाविद्यालय परिसर में भंडारे का अयोजन करने हेतु संपर्क किया जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भंडारा करने की अनुमति नही दी जा सकती है क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ कन्याओं के लिए है और इसमें कन्या छात्रावास तथा अधिकारी कर्मचारी के आवासीय परिसर भी है। भंडारे के आयोजन के कारण विगत कुछ वर्षो से महाविद्यालय को निम्नांकित समस्या का सामना करना पड रहा है।

1. महाविद्यालय में लगभग 35 मोर एवं उनका परिवार एवं अन्य पक्षी रहते है, भंडारे में अत्यधिक लोगो की भीड एवं भोजन बनाने के लिए आग जलाने इत्यादि के कारण मोर एवं पक्षी असहज हो जाते एवं इनकी क्षति होने की अत्यधिक संभावना रहती है।
2. महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का आवागमन होने के कारण संस्था परिसर में लगातार चोरी की घटनाये हुई हैं, दोनो महिला छात्रावास में चोरी तथा आवासीय परिसर में चोरी की घटनाएं हुई है। जिसकी पुष्टि राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में समय-समय पर दर्ज एफआईआर से की जा सकती है।
3. भंडारे के भोजन के लिए संस्था परिसर में ही लगे पेडों को काटकर उपयोग करते है, जबकि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है भंडारें में अत्यधिक भीड होने से परिसर में लगे पौधें नष्ट हो जाते है। भंडारे के बाद बचा हुआ बची हुई सामग्री, भोजन तथा झूठी पत्तल दोना तथा भंडारे में आयी हुई भीड के जूते/चप्पल पूरे परिसर में बिखरे रहते है, जिससे महाविद्यालय परिसर में अनके दिनों तक बदबू एवं अव्यवस्था रहती है।

महाविद्यालय के कन्या छात्रावास के प्रभारी तथा रहवासी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भंडारे को उनके नियत स्थान या अन्य किसी स्थान पर करने हेतु निवेदन किया है जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है। साथ ही निवेदन है कि महाविद्यालय की शांति,मर्यादा, स्वच्छता एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर को पलायन से बचाने की कृपा करेंगे।

संलग्न –उपरोक्तानुशार

05/2/24
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

कार्यालय, शासकीय महिला पालीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इंदौर
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र. 0731 2921012 E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक/शामपोई/स्था/2024/ 251 इन्दौर,दिनॉक :- 10-2-2024

प्रति,

थाना प्रभारी
पुलिस थाना, राजेन्द्र नगर,
जिला इन्दौर (म0प्र0)

विषय- महाविद्यालय परिसर में भंडारे के आयोजन के संबंध् में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि महाविद्यालय परिसर ए.बी.रोड राजेन्द्र नगर स्थित शिवमंदिर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव पर पूर्वानुसार आम जनता हेतु भंडारे का आयोजन होता रहा है, वर्ष 2014-15 में भंडारे के समय अति वर्षा होने के कारण मंदिर समिति को संस्था के बाहरी परिसर में आम जनता को खाना खाने की व्यवस्था हेतु तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु इसके बाद प्रत्येक वर्ष मंदिर परिसर ने अपना नियत स्थान छोडकर महाविद्यालय परिसर में ही भंडारे का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विगत दो दिवसों से भंडारे के आयोजकों का महाविद्यालय परिसर में भ्रमण किया जाना प्रारंभ हो गया है। दिनांक 3 फरवरी को आयोजकों के प्रतिनिधि श्री गोपाल खंडेलवाल ने अधोस्ताक्षरकर्ता से महाविद्यालय परिसर में भंडारे का अयोजन करने हेतु संपर्क किया जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भंडारा करने की अनुमति नही दी जा सकती है क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ कन्याओं के लिए है और इसमें कन्या छात्रावास तथा अधिकारी कर्मचारी के आवासीय परिसर भी है। भंडारे के आयोजन के कारण विगत कुछ वर्षो से महाविद्यालय को निम्नांकित समस्या का सामना करना पड रहा है।

1. महाविद्यालय में लगभग 35 मोर एवं उनका परिवार एवं अन्य पक्षी रहते है, भंडारे में अत्यधिक लोगो की भीड एवं भोजन बनाने के लिए आग जलाने इत्यादि के कारण मोर एवं पक्षी असहज हो जाते एवं इनकी क्षति होने की अत्यधिक संभावना रहती है।
2. महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का आवागमन होने के कारण संस्था परिसर में लगातार चोरी की घटनाये हुई हैं, दोनो महिला छात्रावास में चोरी तथा आवासीय परिसर में चोरी की घटनाएं हुई है। जिसकी पुष्टि राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में समय-समय पर दर्ज एफआईआर से की जा सकती है।
3. भंडारे के भोजन के लिए संस्था परिसर में ही लगे पेडों को काटकर उपयोग करते है, जबकि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है भंडारें में अत्यधिक भीड होने से परिसर में लगे पौधें नष्ट हो जाते है। भंडारे के बाद बचा हुआ बची हुई सामग्री, भोजन तथा झूठी पत्तल दोना तथा भंडारे में आयी हुई भीड के जूते/चप्पल पूरे परिसर में बिखरे रहते है, जिससे महाविद्यालय परिसर में अनके दिनों तक बदबू एवं अव्यवस्था रहती है।

महाविद्यालय के कन्या छात्रावास के प्रभारी तथा रहवासी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भंडारे को उनके नियत स्थान या अन्य किसी स्थान पर करने हेतु निवेदन किया है जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है। साथ ही निवेदन है कि महाविद्यालय की शांति,मर्यादा, स्वच्छता एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर को पलायन से बचाने की कृपा करेंगे।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 10/2/24
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

o/c

Scanned with OKEN Scanner

11

कार्यालय, शासकीय महिला पालीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इंदौर
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र. 0731 2921012 E-MAIL ID - prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक/शामपोई/स्था/2024/ 212 इन्दौर,दिनांक : 05-02-2024

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला इंदौर (म0प्र0)

विषय- महाविद्यालय परिसर में भंडारे के आयोजन के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि महाविद्यालय परिसर ए.बी.रोड राजेन्द्र नगर स्थित शिवमंदिर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव पर पूर्वानुसार आम जनता हेतु भंडारे का आयोजन होता रहा है, वर्ष 2014-15 में भंडारे के समय अति वर्षा होने के कारण मंदिर समिति को संस्था के बाहरी परिसर में आम जनता को खाना खाने की व्यवस्था हेतु तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु इसके बाद प्रत्येक वर्ष मंदिर परिसर ने अपना नियत स्थान छोडकर महाविद्यालय परिसर में ही भंडारे का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विगत दो दिवसों से भंडारे के आयोजकों का महाविद्यालय परिसर में भ्रमण किया जाना प्रारंभ हो गया है। दिनांक 3 फरवरी को आयोजकों के प्रतिनिधि श्री गोपाल खंडेलवाल ने अधोस्ताक्षरकर्ता से महाविद्यालय परिसर में भंडारे का अयोजन करने हेतु संपर्क किया जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भंडारा करने की अनुमति नही दी जा सकती है क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ कन्याओं के लिए है और इसमें कन्या छात्रावास तथा अधिकारी कर्मचारी के आवासीय परिसर भी है। भंडारे के आयोजन के कारण विगत कुछ वर्षो से महाविद्यालय को निम्नांकित समस्या का सामना करना पड रहा है।

1. महाविद्यालय में लगभग 35 मोर एवं उनका परिवार एवं अन्य पक्षी रहते है, भंडारे में अत्यधिक लोगो की भीड एवं भोजन बनाने के लिए आग जलाने इत्यादि के कारण मोर एवं पक्षी असहज हो जाते एवं इनकी क्षति होने की अत्यधिक संभावना रहती है।
2. महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का आवागमन होने के कारण संस्था परिसर में लगातार चोरी की घटनाये हुई हैं, दोनो महिला छात्रावास में चोरी तथा आवासीय परिसर में चोरी की घटनाएं हुई है। जिसकी पुष्टि राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में समय-समय पर दर्ज एफआईआर से की जा सकती है।
3. भंडारे के भोजन के लिए संस्था परिसर में ही लगे पेडों को काटकर उपयोग करते है, जबकि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है भंडारें में अत्यधिक भीड होने से परिसर में लगे पौधें नष्ट हो जाते है। भंडारे के बाद बचा हुआ बची हुई सामग्री, भोजन तथा झूठी पत्तल दोना तथा भंडारे में आयी हुई भीड के जूते/चप्पल पूरे परिसर में बिखरे रहते है, जिससे महाविद्यालय परिसर में अनके दिनों तक बदबू एवं अव्यवस्था रहती है।

महाविद्यालय के कन्या छात्रावास के प्रभारी तथा रहवासी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भंडारे को उनके नियत स्थान या अन्य किसी स्थान पर करने हेतु निवेदन किया है जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है। साथ ही निवेदन है कि महाविद्यालय की शांति,मर्यादा, स्वच्छता एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर को पलायन से बचाने की कृपा करेंगे।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

Shinde 5/2/24
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

Scanned with OKEN Scanner

(12)

कार्यालय, शासकीय महिला पालीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इंदौर
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र. 0731 2921012 E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक/शामपोई/स्था/2024/ 215 इन्दौर,दिनॉक :- 05/02/24

प्रति,

आयुक्त महोदय
आयुक्त कार्यालय इंदौर

विषय- महाविद्यालय परिसर में भंडारे के आयोजन के संबंध् में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि महाविद्यालय परिसर ए.बी.रोड राजेन्द्र नगर स्थित शिवमंदिर द्वारा शिवरात्रि महोत्सव पर पूर्वानुसार आम जनता हेतु भंडारे का आयोजन होता रहा है, वर्ष 2014-15 में भंडारे के समय अति वर्षा होने के कारण मंदिर समिति को संस्था के बाहरी परिसर में आम जनता को खाना खाने की व्यवस्था हेतु तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु इसके बाद प्रत्येक वर्ष मंदिर परिसर ने अपना नियत स्थान छोडकर महाविद्यालय परिसर में ही भंडारे का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विगत दो दिवसों से भंडारे के आयोजकों का महाविद्यालय परिसर में भ्रमण किया जाना प्रारंभ हो गया है। दिनांक 3 फरवरी को आयोजकों के प्रतिनिधि श्री गोपाल खंडेलवाल ने अधोस्ताक्षरकर्ता से महाविद्यालय परिसर में भंडारे का अयोजन करने हेतु संपर्क किया जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भंडारा करने की अनुमति नही दी जा सकती है क्योंकि यह महाविद्यालय सिर्फ कन्याओं के लिए है और इसमें कन्या छात्रावास तथा अधिकारी कर्मचारी के आवासीय परिसर भी है। भंडारे के आयोजन के कारण विगत कुछ वर्षो से महाविद्यालय को निम्नांकित समस्या का सामना करना पड रहा है।

1. महाविद्यालय में लगभग 35 मोर एवं उनका परिवार एवं अन्य पक्षी रहते है, भंडारे में अत्यधिक लोगो की भीड एवं भोजन बनाने के लिए आग जलाने इत्यादि के कारण मोर एवं पक्षी असहज हो जाते एवं इनकी क्षति होने की अत्यधिक संभावना रहती है।
2. महाविद्यालय में असामाजिक तत्वों का आवागमन होने के कारण संस्था परिसर में लगातार चोरी की घटनाये हुई हैं, दोनो महिला छात्रावास में चोरी तथा आवासीय परिसर में चोरी की घटनाएं हुई है। जिसकी पुष्टि राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में समय-समय पर दर्ज एफआईआर से की जा सकती है।
3. भंडारे के भोजन के लिए संस्था परिसर में ही लगे पेडों को काटकर उपयोग करते है, जबकि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है भंडारें में अत्यधिक भीड होने से परिसर में लगे पौधें नष्ट हो जाते है। भंडारे के बाद बचा हुआ बची हुई सामग्री, भोजन तथा झूठी पत्तल दोना तथा भंडारे में आयी हुई भीड के जूते/चप्पल पूरे परिसर में बिखरे रहते है, जिससे महाविद्यालय परिसर में अनके दिनों तक बदबू एवं अव्यवस्था रहती है।

महाविद्यालय के कन्या छात्रावास के प्रभारी तथा रहवासी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भंडारे को उनके नियत स्थान या अन्य किसी स्थान पर करने हेतु निवेदन किया है जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत है। साथ ही निवेदन है कि महाविद्यालय की शांति,मर्यादा, स्वच्छता एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर को पलायन से बचाने की कृपा करेंगे।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

Bhide 05/2/24
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमइ / स्था. / 2021 / 81   इन्दौर दिनांक :– 18/5/21

प्रति,

थाना प्रभारी,
पुलिस थाना राजेन्द्र नगर
इन्दौर (म.प्र)

विषय :– शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, इन्दौर के सूने छात्रावास में चोरी होने बाबद।

:–000–:

कोविड 19 की रोकथाम के लिये लगाये गये लॉक डाउन 2021 के दौरान सूने छात्रावास की बाथरूम खिड़की की जालीकाट कर एवं प्रथम तल का चेनल गेट की जाली काट कर कुछ आसामाजिक तत्वों ने सूने छात्रावास में चोरी की घटना की है, सूचना केयर टेकर से प्राप्त होने पर श्री लोकेन्द्र सिटोले, केयर टेकर, श्री किशोर जाटव, कुशल सहायक, श्री मोहनलाल श्रीवास, प्रयोगशाला परिचारक एवं श्री रोहित शुक्ला, प्रयोगशाला परिचारक को आज दिनांक 18 / 05 / 2021 को समय प्रातः 11.00 बजे भेजा गया, छात्रावास में निम्न सामान चोरी होना पाया गया है, जो निम्नानुसार है –

1	पंखे	50 नग
2	सी.सी.टी. व्ही. कैमरे	03 नग
3	सी.सी.टी. व्ही. ऐसेसिरिज हार्ड डिस्क एवं एल ई डी मॉनिटर 32"	01 सेट
4	एल ई डी टी.व्ही. सोनी साईज 40"	01 नग
5	सेट अप बॉक्स टाटा स्काई	01 नग
6	मेस की समस्त सामग्री एवं बर्तन,	

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जॉच की कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

प्राचार्य,
शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
इंदौर

पृष्ठांकन क्रमांक / शामपोमइ / स्था. / 2021 / 82   इन्दौर दिनांक :– 18/5/21
प्रतिलिपि –

1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक पश्चिमी क्षेत्र, इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्राचार्य,
शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
इंदौर

OTHER/naveen shortcut

Scanned with OKEN Scanner

(14)

29
17/1/22

प्रति

प्राचार्य महोदय
शा० महिला पोलीटेक्निक
राजेन्द्र नगर इंदौर

विषय - मेरे आवास में चोरी होने बाबद

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दि० 8-1-2022 से 10-1-2022 तक अपने गृह नगर देवास गया था उक्त अवधि में मेरे आवास क्रमांक M-5 पोलीटेक्निक कैम्पस राजेन्द्रनगर में दिनांक 10-1-2022 को सुबह 8.45 बजे आया तो देखा घर का ताला टूटा हुआ था दरवाजा खुला हुआ था और सामान अन्दर देखा तो आलमारी का ताला टूटा हुआ था सामान बिखरा हुआ जिसमें 24 ग्राम सोने की चेन 6 ग्राम के टाप्स 5 ग्राम की अंगूठी, पायजेब, 25000/- नगदी चोरी हो गये
अतः महोदय जी से निवेदन है कि कैम्पस की सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाय महोदय जी की ओर सूचनार्थ प्रेषित

प्रार्थी
[signature]
10-1-2022
कमल सिंह सुनानिया
वाहन चालक
शा० महिला पोलीटे०
राजेन्द्र नगर इंदौर

सलग्न - पुलिस रिपोर्ट की छायाप्रति

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
FIRST INFORMATION REPORT

1. District (जिला): इंदौर
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0039 (15)
P.S. (थाना): राजेंद्र नगर
Year (वर्ष): 2022
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 10/01/2022 12:55 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	457
2	भा द सं 1860	380

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 08/01/2022
Date To (दिनांक तक): 10/01/2022
Time Period (समय अवधि):
Time From (समय से): 17:00 बजे
Time To (समय तक): 08:45 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/01/2022
Time (समय): 12:55 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.): 033
Date & Time (दिनांक और समय): 10/01/2022 12:55

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 0.100 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): H-8 [illegible]

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम):
District(State) (ज़िला (राज्य)):

Scanned with OKEN Scanner

(b) Father's Name (पिता का नाम) : रणछोड लाल सुनानिया

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	H-5 ,महिला पालिटेक्निक केम्पस ,राजेन्द्र नगर इन्दौर ,राजेंद्र नगर,इंदौर, मध्य प्रदेश,भारत
[illegible]	[illegible]	[illegible], मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-9827068732

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

फरियादी द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाने पर

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	आभूषण	अन्य सोने के आभूषण	एक सोने की चैन, एक जोड कान के टाप्स, एक सोने की अंगुठी रुपये	0.00
2	सिक्के और मुद्रा	रुपये	नगदी करीब 25000 रूपये	45,000.00

Scanned with OKEN Scanner

(16)

Total value of property (In Rs/-)-संपत्ति का कुल मूल्य(रु में): [illegible]

1. Inquest Report / U D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै H-5 महिला पालिटेक्निक केम्पस राजेन्द्र नगर इन्दौर मे रहता हूँ तथा कालेज की गाडी पर ड्रायवरी करता हूँ । मै मेरे घर पर अपनी पत्नी सविता सुनानिया के साथ रहता हूँ दिनांक 08.01.2022 को शाम 05.00 बजे मै अपने घर मे ताला लगाकर अपन पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव देवास चला गया था । आज दिनांक 10.01.2022 को सुबह 08.45 बजे वापस अपने घर आया तो देखा मेरे मकान के मेन दरवाजे का ताला (नुकचा) टूटा हुआ था अन्दर जाकर देखा तो बेडरूम मे रखी अलमारी खुली थी तथा सामान बिखरा पडा था । सामान चैक किया तो अलमारी मे रखे एक सोने की चैन, एक जोड कान के टाप्स, एक सोने की अंगुठी कपडे ,नगदी करीब 20000 से 25000 रूपये के करीब नही थे । कोई अज्ञात बदमाश मेरे मकान के दरवाजे का ताला तोडकर अन्दर प्रवेश कर उक्त सोने के जेवर व कपडे तथा नगदी रूपये चुराकर ले गया है । मेरा चोरी गया सामान सामने आने पर पहचान लुगां । मेरा चोरी गया सोने का सामान पुराना ,इस्तेमाली व पैतृक है जिसकी कीमत करीबन 20,000 रुपये है । जिसके बिल मेरे पास नही है । रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे ।

13. Action taken: Since the above Information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): KUNDAN MAL REGER
No.(सं.):
Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR
to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,राजेन्द्र नगर इन्दौर. मध्य–प्रदेश
दूरभाष क्रमॉक–0731–2971011 ई मेल -pmwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपॉमइ / स्थापना / 2022 / 1559 इन्दौर,दिनॉक :- 12/12/2022

प्रति,

उद्यान अधिकारी,
नगर पालिक निगम,
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इन्दौर केम्पस में की स्थित छात्रावास एवं उसके आसपास पेड़ो की छटाई एवं सफाई से संबंधित ।

:–000–:

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस महाविद्यालय में दिनॉक 14/12/2022 से वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है जिसमें उच्च अधिकारियो एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित होगें । संस्था राजेन्द्र नगर इन्दौर के ए.बी.रोड़ पर स्थित है ।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निवेदन है कि संस्था परिसर में छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास एवं उसके आसपास बिजली के पोल के उपर के पेड़ो की छटाई एवं साफ सफाई हेतु इस कार्य को सम्पन्न कराने वाले अपने अधीनस्थ स्टाफ को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

(18)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र– 0731–2921012 E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमइ / स्टेट / 2023 / 03 इन्दौर दिनांक 3/01/2023

प्रति,

आयुक्त महोदय
नगर पालिक निगम
जिला इन्दौर (म0प्र0)

नगर पालिक निगम, इन्दौर
आयुक्त कार्यालय
आवक क्रमांक 8044
दिनांक 03.1.23

विषय :- महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपास के वृक्षों की छटाई एवं पुताई बाबत् ।

----000----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था शास0 महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, इंदौर में ए.बी. रोड मुख्य मार्ग पर स्थित है, महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपास लगभग 50–60 वृक्षों की सुंदरता के दृष्टिगत उनके तनों की पुताई एवं छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की छटाई की भी आवश्यकता है। चूंकि ग्लोबल इन्वेस्मेंट समिट के अवसर पर विभाग के प्रमुख सचिव एवं उच्च अधिकारियों का आगमन निर्धारित है एवं गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर 26 जनवरी 2023 को झंण्डा वंदन स्थल के आस–पास की सुंदरता हेतु भी उक्त कार्य की अत्यंत आवश्यकता है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निवेदन है कि उपरोक्त कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु आपके अधीनस्थ स्टाफ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्राचार्य
शास0 महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय,
इन्दौर (म0प्र0)

O/C

(19)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र– 0731–2921012 E-MAIL ID – prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमइ / स्टेट / 2023 / 04 इन्दौर दिनांक :– 3/01/2023

प्रति,

उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम
जिला इन्दौर (म0प्र0)

विषय :– महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपास के वृक्षों की छटाई एवं पुताई बावत् ।

----000----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था शास0 महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, इंदौर में ए.बी. रोड मुख्य मार्ग पर स्थित है, महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपास लगभग 50–60 वृक्षों की सुंदरता के दृष्टिगत उनके तनों की पुताई एवं छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की छटाई की भी आवश्यकता है। चूंकि ग्लोबल इन्वेस्मेंट समिट के अवसर पर विभाग के प्रमुख सचिव एवं उच्च अधिकारियों का आगमन निर्धारित है एवं गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर 26 जनवरी 2023 को झंण्डा वंदन स्थल के आस–पास की सुंदरता हेतु भी उक्त कार्य की अत्यंत आवश्यकता है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निवेदन है कि उपरोक्त कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु आपके अधीनस्थ स्टाफ़ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्राचार्य
शास0 महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,
इन्दौर (म0प्र0)

o/c

इ.न.पा.नि.
उद्यान विभाग
आ.क्र. 3753
दि. 3/1/23

क्रमांक/ /8

दिनांक : 02/03/2023

श्रीमान थाना प्रभारी,

राजेन्द्र नगर थाना, इन्दौर (म.प्र.)

विषय : कन्या छात्रावास की सुरक्षा विषयक ।
(शासकीय महिला पॉ. महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर इन्दौर)

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि दिनांक 25/02/23 को रात्रि 11:30 के आसपास संस्था परिसर में कन्या छात्रावास के अन्दर कुछ अन्जान व्यक्तियो द्वारा घुसे एवं छात्राओं द्वारा शोर मचाने पर दरवाजा खोलकर भाग गये। कल रात दिनांक 01/03/23 को पुनः रात्रि में उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा छात्रावास भवन की छत पर चढ़कर कूदते हुए देखा गया है, जिससे छात्राये भयभीत है एवं दहशत में होकर असुरक्षित महसूस कर रही है।

कृपया करके पेट्रोलिंग गाड़ी एवं एक कान्सटेबल की व्यवस्था कराने का कष्ट करे।

धन्यवाद

भवदीय

Shinde 02/3/23
Mrs. Vijaya Shinde
Hostel Warden
9926412064

(signature) 02/03/23
(Warden Khan)

(signature) 02/03/23

(signature)
(Nikita Saluja)

02-MAR-23

प्रति Dr. (signature) (Warden)
दिनांक 02/03/2023
MANISH
HO.1404
थाना राजेन्द्र नगर मो.नं. 7587914438
फोन 0731-2221500

(21)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेंद्रनगर इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/शामपोई/स्टेट/2023...1263 इन्दौर दिनांक ...17/7/2023

प्रति,

उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम
जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय :—महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपासं के वृक्षो की छटाई एवं पुताई बाबद ।

———000———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था शास. महिला पॉलीटेक्निक राजेन्द्रनगर इन्दौर में ए.बी. रोड़ मुख्य मार्ग पर स्थित है महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपास लगभग 50 से 60 वृक्षों की सुंदरता के दृष्टिगत उनके तनो की पुताई एवं छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की छटाई की भी आवश्यकता है ।विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर महोदय एवं उच्च अधिकारियों का आगमन हो सकता है एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ पर्व के पहले झण्डा वंदन स्थल के आस—पास एवं मुख्य भवन के आसपास भी उक्त कार्य की अत्यंत आवश्यकता है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु आपके अधीन स्टॉफ को निर्देशित करने का कष्ट करे एवं हमारा इन्दौर सदैव नंबर 1 बना रहे ।

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त महोदय नगर निगम इन्दौर ।

17/7/23
प्राचार्य
शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

क्र. 1606
18-7-2023

(10)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेंद्रनगर इन्दौर (म.प्र.)
क्रमांक / शामपोई / स्टेट / 2023...1262 इन्दौर दिनांक ...17/7/23

प्रति,

आयुक्त महोदय,
नगर पालिक निगम
जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय :–महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपास के वृक्षो की छटाई एवं पुताई बाबद ।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था शास. महिला पॉलीटेक्निक राजेन्द्रनगर इन्दौर में ए.बी. रोड़ मुख्य मार्ग पर स्थित है महाविद्यालय परिसर के सामने एवं आसपास लगभग 50 से 60 वृक्षों की सुंदरता के दृष्टिगत उनके तनो की पुताई एवं छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की छटाई की भी आवश्यकता है ।विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर महोदय एवं उच्च अधिकारियों का आगमन हो सकता है एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ पर्व के पहले झण्डा वंदन स्थल के आस–पास एवं मुख्य भवन के आसपास भी उक्त कार्य की अत्यंत आवश्यकता है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु आपके अधीन स्टॉफ को निर्देशित करने का कष्ट करे एवं हमारा इन्दौर सदैव नंबर 1 बना रहे. ।

Shinde 17/7/23
प्राचार्य
शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

नगर पालिक निगम, इन्दौर
आयुक्त कार्यालय
आवक क्रमांक.....3623
दिनांक.....18/7/23

(9)

Scanned with OKEN Scanner

(23)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पोलीटेकनिक राजेन्द्रनगर इन्दौर

दूरभाष क्रमांक–0731–2971011 ई मेल –prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक /शामपोइ/2023/1370 इन्दौर,दिनांक 7/8/2023

प्रति,

आयुक्त महोदय,
नगर पालिका निगम,
इन्दौर (मध्य–प्रदेश)

विषय :– साफ–सफाई , घास एवं पेड़ो के छटाई,जैविक खाद बनाने हेतु कम्पोस्टिग पिट निर्माण बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इन्दौर (झोन क्रमांक–13,वार्ड क्रमांक–78) में 10 एकड़ की भूमि पर दो महिला छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर बने हुए है एवं दोनो महिला छात्रावास के पीछे रेल्वे लाईन है जहॉ से आये दिन असामाजिक तत्व आ जाते है एवं कई बार चोरी की घटनाऍं हो चुकी है छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैम्पस की साफ सफाई , घास एवं पेड़ो की छटाई अति आवश्यक है , हमारे कैंम्पस में मैस एवं रहवासी परिसर के किचन एवं ग्रीन वेस्ट का खाद बनाना है । इस हेतु शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय परिसर में कम्पोस्टिग पिट की आवश्यकता है । उक्त कार्य हेतु नगर निगम इन्दौर से सहयोग की अपेक्षा रखते है ।

धन्यवाद ।

Shinde 07/8/23
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

(7)

Scanned with OKEN Scanner

(24)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पोलीटेकनिक राजेन्द्रनगर इन्दौर

दूरभाष कमॉक–0731–2971011 ई मेल –prinwpoly.ind@mp.gov.in

कमॉक /शामपोइ/2023/1373 इन्दौर,दिनांक 7/8/2023

प्रति,

पार्षद महोदय,
बिलावली झोन,
झोन क्रमांक–13,वार्ड क्रमांक–78,
इन्दौर (मध्य–प्रदेश)

विषय :– साफ–सफाई , घास एवं पेड़ो के छटाई,जैविक खाद बनाने हेतु कम्पोस्टिग पिट निर्माण बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इन्दौर में 10 एकड़ की भूमि पर दो महिला छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर बने हुए है एवं दोनो महिला छात्रावास के पीछे रेल्वे लाईन है जहॉ से आये दिन असामाजिक तत्व आ जाते है एवं कई बार चोरी की घटनाएँ हो चुकी है छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैम्पस की साफ सफाई , घास एवं पेड़ो की छटाई अति आवश्यक है , हमारे कैम्पस में मैस एवं रहवासी परिसर के किचन एवं ग्रीन वेस्ट का खाद बनाना है । इस हेतु शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय परिसर में कम्पोस्टिग पिट की आवश्यकता है । उक्त कार्य हेतु नगर निगम इन्दौर से सहयोग की अपेक्षा रखते है ।

धन्यवाद ।

Hide 07/8/23
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

(16)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पोलीटेकनिक राजेन्द्रनगर इन्दौर

दूरभाष क्रमांक-0731-2971011 ई मेल -prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोइ / 2023 / 1372 इन्दौर,दिनांक 7 / 8 / 2023

प्रति,

झोनल अधिकारी,
बिलावली झोन,
झोन क्रमांक-13,वार्ड क्रमांक-78,
इन्दौर (मध्य-प्रदेश)

विषय :- साफ-सफाई , घास एवं पेड़ो के छटाई,जैविक खाद बनाने हेतु कम्पोस्टिंग पिट निर्माण बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इन्दौर में 10 एकड़ की भूमि पर दो महिला छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर बने हुए हैं एवं दोनो महिला छात्रावास के पीछे रेल्वे लाईन है जहाँ से आये दिन असामाजिक तत्त्व आ जाते है एवं कई बार चोरी की घटनाएँ हो चुकी है छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैम्पस की साफ सफाई , घास एवं पेड़ो की छटाई अति आवश्यक है , हमारे कैम्पस में मैस एवं रहवासी परिसर के किचन एवं ग्रीन वेस्ट का खाद बनाना है । इस हेतु शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय परिसर में कम्पोस्टिंग पिट की आवश्यकता है । उक्त कार्य हेतु नगर निगम इन्दौर से सहयोग की अपेक्षा रखते है ।

धन्यवाद ।

Bhide 07/8/23

प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

(8)

Scanned with OKEN Scanner

(26)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पोलीटेकनिक राजेन्द्रनगर इन्दौर

दूरभाष क्रमांक–0731–2971011 ई मेल –prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक /शामपोइ/2023/1371 इन्दौर,दिनांक 7/8/2023

प्रति,

महापौर,
नगर पालिका निगम,
इन्दौर (मध्य–प्रदेश)

विषय :– साफ–सफाई , घास एवं पेड़ो की छटाई,जैविक खाद बनाने हेतु कम्पोस्टिंग पिट निर्माण बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इन्दौर (झोन क्रमांक–13,वार्ड क्रमांक–78) में 10 एकड़ की भूमि पर दो महिला छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर बने हुए है एवं दोनो महिला छात्रावास के पीछे रेल्वे लाईन है जहाँ से आये दिन असामाजिक तत्व आ जाते है एवं कई बार चोरी की घटनाएँ हो चुकी है छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैम्पस की साफ सफाई , घास एवं पेड़ो की छटाई अति आवश्यक है , हमारे कैम्पस में मैस एवं रहवासी परिसर के किचन एवं ग्रीन वेस्ट का खाद बनाना है । इस हेतु शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय परिसर में कम्पोस्टिंग पिट की आवश्यकता है । उक्त कार्य हेतु नगर निगम इन्दौर से सहयोग की अपेक्षा रखते है ।

धन्यवाद ।

Bhide 07/8/23
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इन्दौर.

संलग्न : आवेदन

(6)

Scanned with OKEN Scanner

(27)

दिनांक 24/08/23

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी
थाना राजेन्द्र नगर
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- छात्रावास में चोरी एवं आए दिन घटना होने के संबंध में -

महो.

उपरोक्त विषय में लेख है कि संस्था के विजय भूतने छात्रावास में नगद एवं अन्य सामान चोरी हुआ है एवं छत पर लगी खिड़की की ग्रील तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने छात्रावास में घुसकर चोरी की घटना की है एवं इसके पहले भी पूर्व में कई बार भी घुसने एवं नये छात्रावास में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जिससे छात्राएं भयभीत रहती हैं।

कृपया छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एक पेट्रोलिंग गाड़ी रात्रि के लिए एवं 01 पुलिसकर्मी भवन में तैनात करवाने हेतु आदेश का कष्ट करें।

सुरक्षा एवं भवन सामग्री प्रभारी
श्री नरेन्द्र कुमार साहू [signature]

[signature]
24/8/23
राजेन्द्र नगर
24/8/23 [signature] 24/8/23
प्रदीप यादव कार्य. सउनि.
थाना प्रभारी
का.मो.नं. 75876 14438
नं. 0731-2321826

[signature]
लोकेन्द्र सिसोदिया
ओवर हेड छात्रावास
आवास. महिला होस्टल.
राजेन्द्र नगर इन्दौर

प्रदीप यादव सर (ASI)
7049107331

(11)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(28)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेंद्रनगर इन्दौर (म.प्र.)
दूरभाष 0731–2921012 Email-prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोई / स्थापना / 2023 / 1528 इन्दौर दिनांक 5/9/2023

प्रति,

थाना प्रभारी
राजेन्द्र नगर
ए.बी. रोड इन्दौर

विषय :– शास.महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर के सूने छात्रावास में चोरी होने बाबद ।

———000———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस संस्था के परिसर में कन्या छात्रावास स्थित है दिनांक 23 / 08 / 2023 को सूने छात्रावास में रेल्वे स्टेशन की ओर से छात्रावास की दीवार फांदकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छात्रावास के बाहरी बाशरूमों के वेंटीलेशनो की लोहे की ग्रिलो को काटकर छात्रावास के अंदर चोरी की वारदात की है एवं सभी चारो विंगो के लेट बाथ के नलो को भी निकाल लिया है साथ ही छत की खिड़की की ग्रिल को तोड़कर उपर लगी पानी की टंकियो को क्षतिग्रस्त करके पानी की पाईपलाईन को भी तोड़कर सामग्री चुरा ले गये है छात्रावास से निम्नांकित सामग्री चोरी होना पाया गया है ।

क्रमांक	सामग्री का नाम या विवरण	संख्या
01	पलंग एंगल आयरन कोट	14 नग
02	स्टूडेंट टेबल छोटी पाईप ऐंगल	13 नग
03	कुर्सी लकड़ी की टाप एवं चौकोर पाईप एंगल	11 नग
04	ड्राईंग टेबल आर्किटेक्चर	01 नग
05	स्टूडेंट टेबल बडी पीला टॉप पाईप एंगल	02 नग

अतःश्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच की कार्यवाही का कृष्ट करे ।

थाना राजेन्द्रनगर
दिनांक 05/9/23
अधिकारी का नाम ....
हस्ताक्षर ....
आर. लेखक का मो.न. 75878 14436

Shide
प्राचार्य
शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / शामपोई / 2023 / 1835 / 2023. / ....
इन्दौर दिनांक ....

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक पश्चिमी क्षेत्र इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

–sd–
प्राचार्य
शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय पुलिस उपायुक्त ... इन्दौर महानगर
5/9/23

(23)

Scanned with OKEN Scanner

(29)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेंद्रनगर इन्दौर (म.प्र.)
दूरभाष 0731–2921012 Email-prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोई / स्थापना / 2023 / 1589 इन्दौर दिनांक 22-9-2023

प्रति,

थाना प्रभारी
राजेन्द्र नगर
ए.बी. रोड इन्दौर

विषय :– शास.महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर में पुनः चोरी होने बाबद ।

———000———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस संस्था के परिसर में कन्या छात्रावास स्थित है दिनांक 22/09/2023 को प्रातः 05से 06 बजे के बीच पुराने छात्रावास में रेल्वे स्टेशन की ओर से छात्रावास की दीवार फांदकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छात्रावास के मेस के पीछे की 02 खिडकियां (4x6)लोहे की ग्रिल लगी जाली तोड़कर एवं 03 नग लोहे की कुर्सियां भी ले गये है । उल्लेख है कि पूर्व में भी छात्रावास में 6 से 8 बार चोरी की वारदात हो चुकी है एवं पिछले सप्ताह में ही 04 बार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिवार फांदकर परिसर में देखे गये है एवं पुलिस थाने में भी जिसकी सूचना लगातार दी जा रही है जिसकी सूचना एवं आवेदन थाने एवं पुलिस उपायुक्त झोन 1 में दिया गया है ।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की सुरक्षा की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने का कष्ट करे ताकि इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति न हो सके ।

(हस्ताक्षर)
प्राचार्य
शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय
PRINCIPAL
GOVT. WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE
INDORE (M.P.)

क्रमांक / शामपोई / स्थापना / 2023 / 1590 इन्दौर दिनांक 22-9-2023

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान पुलिस उपायुक्त झोन 01 रानीसराय इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 22/9/23
प्राचार्य
शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय
PRINCIPAL
GOVT. WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE
INDORE (M.P.)

(receiving stamp and signatures) 22/09/23 ... 14436 ... 0731-2321...

O/C

(29)

(30)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र– 0731 2921012 e-mail - prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमइ / स्था.–2 / 2023 / .... इन्दौर दिनांक :– ....

प्रति,

श्रीमान् पुलिस उपायुक्त महोदय,
जोन–1, इन्दौर महानगर
रानी सराय
इन्दौर (म0प्र0)

विषय :- शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, इन्दौर के छात्रावास में निरन्तर चोरी की घटनाओं के सन्दर्भ में ।

संदर्भ :– (1) थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर, इन्दौर को शिकायत कमांक Q-1, दिनांक 18–05–2021.
(2) थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर, इन्दौर को शिकायत कमांक 1528, दिनांक 05–09–2023.
(3) थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर, इन्दौर को शिकायत कमांक 1590, दिनांक 22–09–2023.

--- 000 ---

उपरोक्त विषय एवं संलग्न पत्रों के तारतम्य में लेख हैं कि विगत दो वर्षो से निरन्तर महाविद्यालय परिसर में स्थित पुराने एवं नवीन छात्रावास भवनों में चोरी की घटनाऐ हो रही है । जिसके चलते छात्राओं में असुरक्षा एवं भय का वातावरण बना हुआ है ।

उपरोक्त घटनाओं की नियमित कम से सूचनाऐं थाना प्रभारी, राजेन्द्र नगर इन्दौर को दी जाती रही है । किन्तु ज्ञात हो कि विगत सप्ताह में ही चार बार असामाजिक तत्वों द्वारा छात्रावास में घुसकर चोरी का प्रयास किया गया एवं अंततः आज दिनांक 22–09–2023 को प्रातः 4 एवं 5 बजे के मध्य खिड़की की दीवार तोडकर दो लोहे की जालियॉ चुरा ली गई । पूर्व में भी पुराने छात्रावास की खिडकियों एवं रोशनदान की लोहे की जालियॉ एवं पानी टंकियों के मोटे लोहे एवं पीव्हीसी के पाईप निकालकर ले गये है ।

उपरोक्त घटनाओं के परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु समुचित निर्देश व पुलिस की ड्यूटी एवं कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे परिसर को छात्राओं हेतु सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके ।

संलग्न :– संदर्भित पत्र कं. 1, 2 एवं 3.

Sd/-
प्राचार्य
शास0 महिला पोली0 महा0,
इन्दौर (म0प्र0)

पृ.कमांक / शामपोमइ / स्था–2 / 2023 / 1593 इन्दौर दिनांक :– 22-09-2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1/ श्रीमान आयुक्त महोदय, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, चौथी मंजिल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

2/ श्रीमान् आयुक्त महोदय, राजस्व संभाग इन्दौर एवं अध्यक्ष साधारण सभा एवं संचालक मण्डल शास0 महिला पोली0 महा0, इन्दौर की ओर आवश्यक निर्देश प्रदान करने हेतु.

3/ जिलाधीश महोदय, कलेक्टर कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

4/ थाना प्रभारी, राजेन्द नगर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

22/9/23
PRINCIPAL
GOVT. WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE

(31)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र– 0731 2921012 | E-MAIL ID – priwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक/शामपॉमइ/ इ.मे.से./2023/1808 इन्दौर दिनांक 27/10/2023

प्रति,

सहायक कार्यपालन यंत्री
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,
राजेन्द्र नगर, इंदौर

विषय :– संस्था की इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में हाई वोल्टेज एवं ओवर हेड वायर आपस में टकराने के संबंध में ।

—000—

उपरोक्त विषय में लेख है कि संस्था की इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में हाई वोल्टेज लगभग 250 वोल्ट आने एवं ओवर हेड वायर आपस में टकराने के कारण संस्था के विभिन्न विभागों के लगभग 5–6 UPS एवं अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण जल गये हैं। जिस कारण छात्राओं का पठन–पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है।

कृप्या उपरोक्त समस्या का शीघ्र निराकरण कराने का कष्ट करें।

O/c

प्राचार्य
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इंदौर

पृष्ठां.क्रमांक/शामपॉमइ/ इ.मे.से./2023/1809 इन्दौर दिनांक :– 27/10/2023

प्रतिलिपि :– 1. मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., पोलोग्राउंड, इंदौर ।

27/10/23
प्राचार्य,
शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,
इंदौर

O/c

(2)

B.Thakur Estate
Scanned with OKEN Scanner

(32)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.) 452012

क्रमांक: शामपोम इ / 2023 / Q1

इन्दौर दिनांक 4.11.2023

प्रति,
थाना प्रभारी,
राजेन्द्र नगर
A.B. Road इन्दौर

विषय:- संस्था परिसर मे स्थित शिव मंदिर में से नागदेवता, त्रिशूल, कलश (पीतल धातु की) इत्यादि की चोरी होने की सूचना।

-०-

विषय मे लेख है कि आज दिनांक 4.11.2023 को समय 3.00 बजे लगभग कुछ लोगों द्वारा चोरी की गई है। चोरी करते समय ही संस्था परिसर मे आवासीत स्टाफ के बच्चो द्वारा देखे गये थे, आपके थाने मे दूरभाष के माध्यम से सूचित किया तथा आपके स्टाफ द्वारा त्वरित गति से, बहादुरी के साथ कार्यवाही की गई तथा चोरों को रंगे हाथ पकड़ा है।

अतः चोरी का प्रकरण कायम कर चोरी हुई सामग्री की वापसी हेतु तथा चोरो पर कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर) 04/11/23
प्राचार्य
शा. म. पो. म. इन्दौर (म.प्र.)

संलग्न:- पूर्व मे हुई चोरीयो से संबंधित पत्रों की प्रति।

(हस्ताक्षर)

थाना: (हस्ताक्षर)
दिनांक 04/11/23
जांचकर्ता का नाम RAJESH SOHNI
SUB INSPECTOR

(3)

(32)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय राजेन्द्रनगर इन्दौर (म0प्र0)
(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
दूरभाष क्र– 0731 2921012 e-mail - prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमइ / साफ–सफाई / 2023 / 1886 इन्दौर दिनांक :– 7/11/2023

प्रति,

श्रीमान् उधान विभाग अधिकारी
नगर पालिका निगम
इंदौर

विषय :– संस्था प्रागंण की सफाई कार्य करवाने बावत् ।

---- 000 ----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,राजेन्द्रनगर इंदौर के सेन्टर कोर्टयार्ड एवं मुख्य बगीचा की घास,झाडिया,इत्यादि की कटिग कर सफाई की जानी है ।

अतः आपसे निवेदन है कि आपकी टीम संस्था मे उपस्थित होकर निरिक्षण कर,अनुमानित क्षेत्रफल बताने का कष्ट करेंगे। साथ ही संस्था से चैक बनवाने हेतु कितनी राशि का चेक बनाना है एवं चेक किस नाम सें बनाना है ताकी संस्था द्वारा आपको भुगतान किया जा सके ।

श्रीमान इंदौर कमीश्नर द्वारा संस्था का दौरा किया गया था । उनके द्वारा संस्था प्रागण की साफ सफाई के निर्देश दिये गये है । कृपया उक्त कार्य को प्राथमीकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

न.पा.नि.
उद्यान विभाग
3200
7/11/2023

O/C

07/11/23
प्राचार्य
शास0 महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय,
इन्दौर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला पोलीटेकनिक राजेन्द्रनगर इन्दौर

ई मेल –prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमाँक /शामपोइ/स्था/2024/ 07 इन्दौर,दिनांक 2/1/2025

प्रति,

सब डिवीजन मजिस्ट्रेट (एसडीएम)

राउ क्षेत्र इंदौर

विषय – पर्यावरण की रक्षा हेतु संस्था स्तर पर किये गए प्रयास के संबंध में।

सस्था द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण सुधार हेतु संस्था स्तर पर निम्न कार्य सतत् किये जाते रहे है:-

1. प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में संस्था में कार्यरत अधिकारियो, कर्मचारियों एवं अध्ययनरत छात्राओं द्वारा संस्था परिसर में परिसर के आस-पास वृक्षारोपण किया जाता है।
2. संस्था में सघन वृक्षारोपण के कारण राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में भ्रमण करते हैं जिनके लिए छात्राएं एवं रहवासी दाना पानी की व्यवस्था करते है।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से संस्था की छात्राओं के द्वारा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के सुधार हेतु केम्प लगाए जाते है एवं ग्रामीण अंचल में घर-घर जाकर साफ-सफाई, जलनिकासी, जल संरक्षण इत्यादित पर्यावरण सुधार संबंधी कार्य किया जाता है।
4. संस्था के अधिकारी कर्मचारी द्वारा वृक्षारोपित किये गए पौधों के संरक्षण हेतु स्वयं के व्यय से ट्री गार्ड एवं खाद पानी की व्यवस्था की जाती है।
5. पर्यावरण में पेडों की महती भूमिका को सिखाने हेतु छात्राओं को संस्था में गमलों में पौधे लगाकर सीख दी जाती है कि वे अपने घर, मोहल्ले, गांव इत्यादि में पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोण करें एवं पौधे लगाए।
6. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में चलाये गए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत भी संस्था में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है।

02/1/25

प्राचार्य

शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय,

इन्दौर.

Plantation

अंकुर

सांस नयी– आस नयी

सहभागिता प्रमाण पत्र

श्री /श्रीमती KAVITA NAGAR निवासी RAU जिला INDORE के द्वारा मध्यप्रदेश शासन की योजना अंकुर सांस नयी– आस नयी" के तहत चित्र (श्रीमती द्वारा स्थापित) में दर्शाये गये पौधे / पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने में सहभागिता की गयी |

मध्य प्रदेश शासन आपके इस योगदान की सराहना करता है |

(शिवराज सिंह चौहान)
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

"पेड़ लगाओ – पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ |"

Unit level Camp

Covid Awareness Posters and campaigns

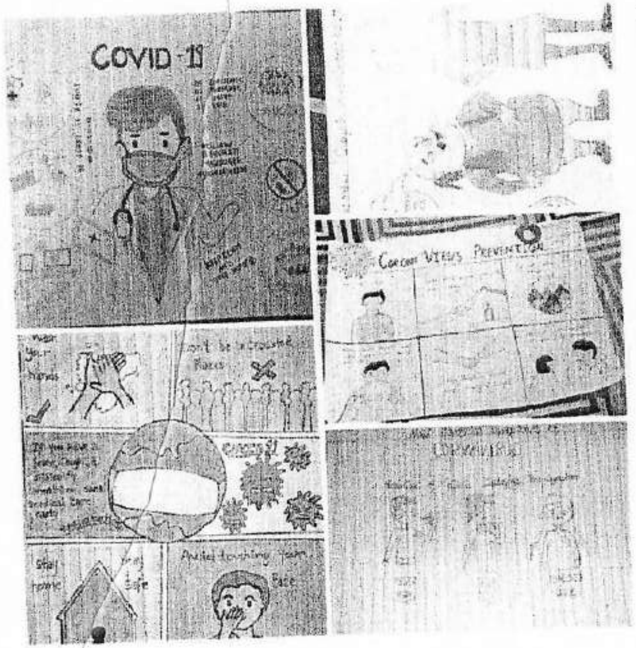

"We Are In This Together--- And We Will Get Through This Together."- United Nations

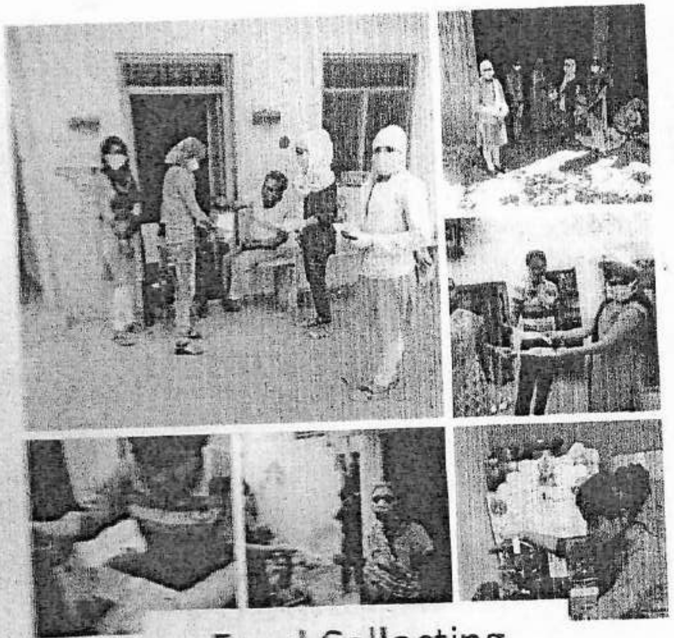

Fund Collecting

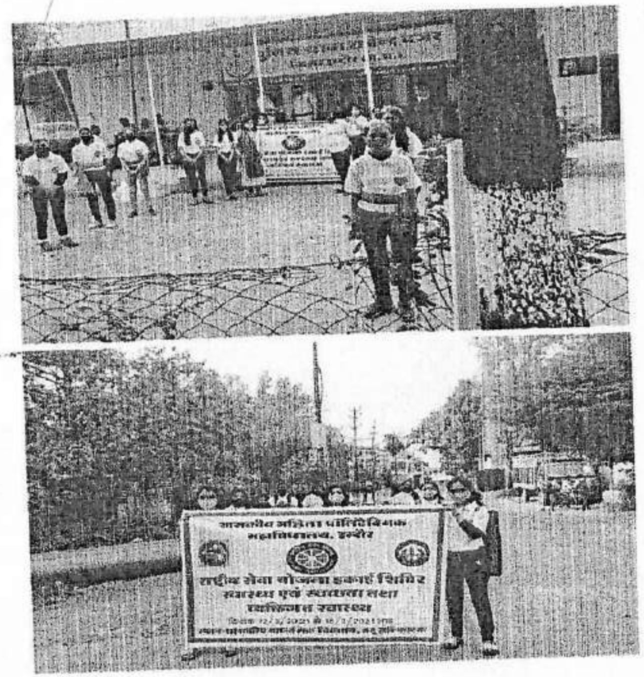

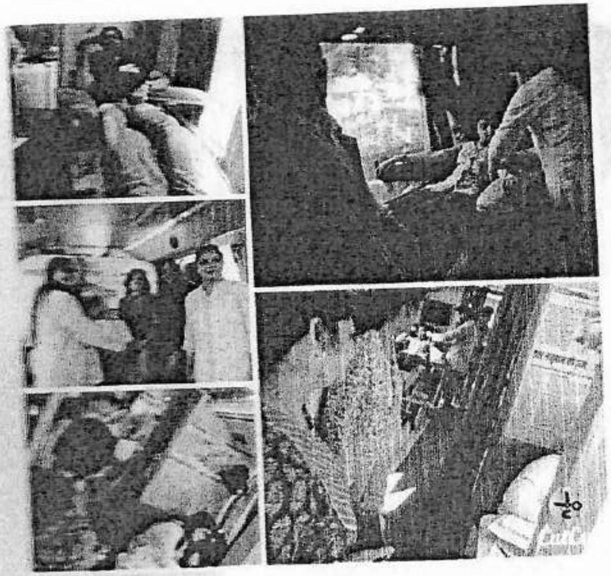

Blood Donation

HIV /AIDS Awareness

Blood Donation

"रक्तदान है महादान, इससे बड़ा
न कोई दान।"

https://photos.app.goo.gl/gECvhQseqxR3WeETA ⟵ Click This ⟶ https://photos.app.goo.gl/ag8qfXzrXABBA4TJ8

CLEANLINESS DRIVE

20

"स्वच्छ भारत हम सभी का सपना है जिसे पूरा करने के लिए हर भारतीय को अपना योगदान देना चाहिए।"

राष्ट्रीय सेवा योजना
इकाई
महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इन्दौर
हरियाली महोत्सव

राष्ट्रीय सेवा योजना

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला पालीटेकनिक
महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित)
e-mail :prinwpoly.ind@mp.gov.in

क्रमांक / इमपोमइ / सुरक्षा / 2023 / 1542 इन्दौर दिनांक 6/9/2023

प्रति,

उद्यान अधिकारी
नगर पालिका निगम
इन्दौर

विषय :- वृक्ष की अवैध कटाई करने बाबद ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क 470 / 05-09-2023

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविघालय इन्दौर का एरिया 10 एकड़ है । केम्पस में अध्ययनरत छात्राओं के निवास हेतु 02 कन्या छात्रावास एवं स्टाफ क्वाटर बने है । छात्रावास के पीछे रेल्वे लाईन है जहाँ से बाउण्ड्रीवाल को कूदकर चोर एवं असामाजिक तत्व आ जाते है एवं आए दिन चोरी करते है । छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केम्पस की साफ–सफाई, धास एवं पेड़ो की छटाई अत्यन्त आवश्यक हो गई थी । इस हेतु संस्था द्वारा झोनल अधिकारी बिलावली झोन इन्दौर ,महापौर महोदय एवं आयुक्त महोदय नगर निगम इन्दौर को दिनांक 07 / 08 / 2023 को एवं पूर्व में आयुक्त महोदय, उद्यान अधिकारी नगर निगम इन्दौर को 17.07.2023 पत्र प्रेषित कर केम्पस की साफ–सफाई, धास एवं पेड़ो की छटाई इत्यादि कार्य कराने का निवेदन किया गया था ।

संस्था केम्पस में स्थित पूराने कन्या छात्रावास से नल एवं अन्य सामान चोरी हुआ एवं छत पर लगी खिड़की का ग्रील तोड़कर चोरी की घटना को अनजाम दिया गया । ऐसी घटना पूर्व में भी हो चुकी है । ऐसी घटना से निवासरत छात्राओं में भय व्याप्त है । इस के संबंध में थानाध्यक्ष राजेन्द्र नगर इन्दौर का आवेदन पत्र दिनांक 24 / 08 / 2023 को प्रेषित किया गया है एवं पुलिस गश्त का निवेदन भी किया गया । गश्त के दौरान पुलिस द्वारा अवगत कराया गया था की केम्पस में बारिश के कारण छात्रावास के इर्द गिर्द कटीली झाड़िया , धास एवं पेड़ो की छटाई एवं साफ–सफाई अत्यन्त आवश्यक है एवं इसमें विषेले जीव–जन्तु के छिपने का भी खतरा बना रहता है । ऐसी स्थिति में केम्पस में चोरी के इरादे से आये व्यक्तियो एवं असामाजिक तत्व की दृश्यता काफी मुश्किल है । एक पेड़ काफी समय से तिरछा होकर पुराने छात्रावास के नजदीक एक अन्य पेड़ से टीका हुआ था । इस पुराने छात्रावास में सतत् शिक्षा के अन्तर्गत दो पाठ्यक्रम भी चलाये जा रहे है । इन पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु छात्राओं एवं महिलाओं का लगातार आना जाना लगा रहता है । विगत माह में एक आदमी दिन मे ही छात्रावास में धुस गया था एवं सफाई करने वाली महिलाओं के चिल्लाने पर भाग गया था । 3 पेड़ बिजली की लाईन पर आने से लगातार निरन्तर विधुत व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे एवं 01 पेड़ आंधी में तिरछा होकर सुख गया था ।

उपरोक्त सभी बातो को ध्यान मे रखते हुए एवं छात्रावास में अध्यनरत् निवासरत छात्राओ एवं जल व्यवस्था में संलग्न कर्मचारियों की सुरक्षा के दष्टिकोण से उन्हे काटों एवं विषेले जन्तुओ से बचाने हेतु कटिले बबुल के पेड / जंगली बबुल कटाई एवं छटाई का कार्य पूर्व मे दी गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है ।

प्रकरण मे निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नही की जावेगी संस्था की छात्राओं को भविष्य मे होने वाली दुर्धटना से बचाने के लिये की गई कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को कृपया नस्तीबद्ध कराने का कष्ट करें

सलग्न : उपरोक्त अंकित पत्रो की छाया प्रति

(हस्ताक्षर) 06/9/23
प्राचार्य
शासकीय महला पोलीटेकनिक महाविघालय
इन्दौर

5

o/c

नगर पालिक निगम, इन्दौर

अवैध वृक्षों की कटाई का स्थल निरीक्षण

मौका पंचनामा

पंचनामा बनाने वाले अधिकारी का नाम: राहुल वर्मा

पद: सहा. उद्यान अधिकारी

स्थल पर: महिला पोलीटेक्निक कॉलेज

दिनांक व समय: 1-9-2023 / 12:30 PM

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता पंच यह तस्दीक करते है कि आज दिनांक 1-9-2023 को श्री प्राचार्य [illegible] निवासी महिला पोलीटेक्निक कॉलेज के अधिपत्य वाले स्थान महिला पोलीटेक्निक कॉलेज पर लगे बबूल के पेड़ [illegible] हरे भरे वृक्ष / वृक्षों को बिना वृक्ष अधिकारी की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये काटा / छटाई कर दी गई है। उक्त स्थान जहा से हरे भरे वृक्ष / वृक्षों को काटा / हटाया / छटाई की गई है वह नपती पर 3 x [illegible] है। मौके पर पेड़ हटाने के निशान पाये गये होकर [illegible] गढ्ढा पाया गया।

मौका पंचनामा के दौरान उक्त स्थान के आधिपत्य धारी श्री प्राचार्य [illegible] आशीष शर्मा एवं अन्य पंच भी मौजुद है। पंचगण एवं स्थान के आधिपत्य धारी की उपस्थित में पंचनामा बनाया गया।

हस्ताक्षर पंचगण

[signature]

9826989656

[signature] [illegible]

[signature] 9826575828

आधिपत्य धारी

[signature]

Govt. Women's Polytechnic College
Indore (M.P.)

9826370828

पंचनामा पंचनामा बनाने वाले अधिकारी

[signature]

सहायक उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

Ann 6

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रभारी सुरक्षा एवं साफ सफाई

उद्यान विभाग

क्रमांक /1470

दिनांक 5-9-2023

05/9

नोटिस

प्रति,

प्रिंसिपल
महिला पॉलोटिनक कॉलेज,
राजेन्द्र नगर, इन्दौर
मोबाईल नं.

आवक क्र. 746
दिनांक 5/9/23
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- वृक्ष की अवैध कटाई करने बाबद।

विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा दिनांक 01/09/2023 को झोन क्रं. 13 वार्ड क्रं. 78 के अंतर्गत महिला पोलोटिनक कॉलेज परिसर में 05 बबुल प्रजाति के हरे-भरे वृक्ष को बिना अनुमति प्राप्त किये काटा जाना पाया गया है। जो कि म.प्र. वृक्ष का परीरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2002 की धारा-3 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण इस नोटिस प्राप्ति से 03 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उद्यान अधिकारी,
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक......................

कमांक................

प्रतिलिपी :-

01 थाना प्रभारी, थाना राजेन्द्र नगर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

उद्यान अधिकारी,
नगर पालिक निगम, इन्दौर

13

Scanned with OKEN Scanner

प्र.अ. सुरक्षा एवं सफाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर

उद्यान विभाग

क्रमांक 1968 दिनांक 13-10-23

आवक क्र. 852 दिनांक 16/10/23
शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

प्रिंसिपल,
महिला पोलोटिनिक कॉलेज,
राजेन्द नगर, इन्दौर
मोबाईल नं.

विषय :– अवैध वृक्ष कटाई की अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) जमा करने बावद ।

विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा झोन कं. 13 वार्ड कं. 78 के अंतर्गत महिला पोलोटिनक कॉलेज परिसर में स्थित 05 बबुल प्रजाति वृक्षो को वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर की बिना स्वीकृति प्राप्त किये काटा जाना पाया गया है।

वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा आप पर रुपये 25,000/– (पच्चीस हजार) का अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) किया गया है।

अतः आप रुपये 25,000/– (पच्चीस हजार) निगम कोषालय उद्यान विभाग में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पूनरावृत्ती न हो ।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक................

क्रमांक...............

प्रतिलिपी :–

01 अपर आयुक्त (उद्यान), नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर

Scanned with OKEN Scanner

प्र अ. स्वास्थ्य सफाई एवं उद्यान
प्रस्तुत
22/11

कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर

उद्यान विभाग

क्रमांक 2232 दिनांक 21/11/23

द्वितिय–पत्र

क्रमांक 949
दिनांक 22/11/23

प्रति,

प्रिंसिपल,
महिला पोलोटिनिक कॉलेज,
राजेन्द्र नगर, इन्दौर
मोबाईल नं.

विषय :– अवैध वृक्ष कटाई की अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) जमा करने बाबद ।

विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा झोन कं. 13 वार्ड कं. 78 के अंतर्गत महिला पोलोटिनक कॉलेज परिसर में स्थित 05 बबुल प्रजाति वृक्षो को वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर की बिना स्वीकृति प्राप्त किये काटा जाना पाया गया है।

वृक्ष अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा आप पर रुपये 25,000/– (पच्चीस हजार) का अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) किये जाने हेतु विभागीय पत्र कं 1968 दिनांक 13/10/2023 को उक्त राशि जमा करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु आपके द्वारा अर्थदण्ड (कम्पाउण्डिंग राशि) जमा कार्यालय में नही करवाई गई है।

अतः आप रुपये 25,000/– (पच्चीस हजार) निगम कोषालय उद्यान विभाग में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वंय की रहेगी।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक..................

कमांक...............
प्रतिलिपी :–
01 अपर आयुक्त (उद्यान), नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

उद्यान अधिकारी
नगर पालिक निगम, इन्दौर

(1)

Scanned with OKEN Scanner

66

Ann-9

कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर
(स्पॉट फाईन / परिवहन शुल्क प्राप्ति रसीद)

बुक नंबर : 03 रसीद क्रमांक : 24

नाम प्राचार्य शासकीय महिला पोलिटेक्निक दिनांक 2/01/25

पता AB रोड राजेन्द्र नगर इन्दौर (M.P.) आवेदन रूप से 5 पेड़ काटे गये

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 418 क(1) के क्रम में म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 1247/08/18-2 दिनांक 11.04.2008 के परिपालन में नगर पालिक निगम के संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 22.01.2015 तथा निगम परिषद बजट बैठक दिनांक 13-14/06/2017 में लिये गये निर्णय के तहत प्रदत्त अधिकारों के तारतम्य में आपके द्वारा स्थान राजेन्द्र नगर महिला पोलीटेक्निक पर म.प्र. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, म.प्र. निर्माणएवं विध्वंसक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, निगम परिषद में लिये गये निर्णयों के उल्लंघन किये जाने पर अर्थ दण्ड के रुप में राशि (अंकों में) 25000 Rs. (अक्षरी रुपये पच्चीस हजार रुपये) के रुप मे वसूल/प्राप्त किये गये।

(चैक द्वारा) 345785 SBI राजेन्द्र नगर

राशि रुपये (अंकों में) 25000 Rs
(अक्षरी रुपये पच्चीस हजार रुपये)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता [signature]

नाम सहायक राहुल वर्मा

पदनाम उद्यान अधिकारी

(सील) सहायक उद्यान अधिकारी नगर पालिक निगम, इन्दौर

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

(30457) - RAJENDRA NAGAR,INDORE
19B,ABHIMAN PLAZA, MAIN ROAD
RAJENDRANAGAR INDORE 452012
Tel: 731-2322000 Fax: IFS Code: SBIN0030457

A/C PAYEE ONLY

केवल 3 महीने के लिए वैध / VALID FOR 3 MONTHS ONLY

0 2 0 1 2 0 2 5
D D M M Y Y Y Y

3HdjE3

PAY आयुक्त, नगर पालिका निगम इंदौर — या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES पच्चीस हजार मात्र —— x —— x —— x ——

अदा करें ₹ 25000=00

VALID UP TO ₹10 LACS AT NON-HOME BRANCH FOR NON-CASH TRANSACTION ONLY

खा. सं. A/c No. 53000530692

29603500035

SAVINGS A/C

PREFIX: 1515600040

A/C PAYEE ONLY

[signature]

PRINCIPAL GOVT MAHILA POLYTEC
Principal
Govt. Women's Polytechnic College

Please sign above

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

UTILITY FORMS PVT. LTD / DELHI / CTS-2010 05/09/2024

⑈345785⑈ 452002074⑆ 001537⑈ 31

Ann-10

Photographs during site inspection Govt Mahila Polytechnic College, Indore on dated 03/01/2025

Visit of Govt Mahila Polytechnic College ,Indore

College campus

Tree cuting

Tree cutting	
Electric wire near tree branches	Tree fallen